न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	19/2024
दायर दिनांक	:	12.03.2024
निर्णय दिनांक	:	04.09.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र तेजराम जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
2. श्रवणलाल पुत्र तेजराम जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
3. कुशला पुत्र भोमाराम जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
4. नाथू पुत्र गणेश जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
5. बाबूलाल पुत्र लालाराम जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
6. मुकेश पुत्र लालाराम जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
7. महेन्द्रकुमार पुत्र तेजराम जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
8. राधेश्याम पुत्र लालाराम जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
9. रामस्वरूप पुत्र नारायण जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
10. शकुन्तला पत्नी मोहनलाल जाति रेगर, निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत
प्रार्थना पत्र धारा 177 (क) राज॰ काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

–: निर्णय :–

उक्त प्रकरण संख्या 19/2024 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम कन्हैयालाल वगै॰ अन्तर्गत धारा 177 (क) राज॰ काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 1 में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी [illegible] की खातेदारी भूमि है जबकि अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करवाये जाने की मांग की जा रही है, उस आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों को प्रकरण में कहीं भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। अतः प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य न होने के कारण प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के संवंध में पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी का उपयोग मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी के खातेदारों के खातेदारी अधिकार विलोपित कर प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करने के आदेश प्रदान किये जावें।

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रश्नगत आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की खातेदारी भूमि वताया गया है एवं प्रश्नगत आराजी को बिना सक्षम कार्यालय की अनुमति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के कारण प्रश्नगत आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के खातेदारी अधिकार विलोपित कर प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करवाये जाने की मांग की जा रही है, उस आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों को प्रकरण में कहीं भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। अतः प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2070–2073 अनुसार प्रश्नगत आराजी कमला देवी पत्नी सोणाराम जाति रैगर, बनवारीलाल पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा, राकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति बैरवा, शंकरलाल पुत्र नाथूराम जाति बलाई, शोभा देवी पत्नी महावीर जाति धोबी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना साबित होता है। इससे अप्रार्थी संख्या 3 के इस कथन की पुष्टि होती है कि प्रार्थी द्वारा जिस प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करवाये जाने की मांग की जा रही है, उस आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों को प्रकरण में कहीं भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 311 रकबा 2.91 है॰ वाके ग्राम भण्डाना तहसील दौसा के रिकॉर्डेड खातेदारों को सुने बिना उन्हें प्रश्नगत आराजी से बेदखल करना या उनके खातेदारी अधिकार विलोपित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 (क) राज॰ काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगनादेश भी खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों को सूचित किया जावे कि 06 माह की अवधि के भीतर प्रश्नगत आराजी के भूमि उपयोग परिवर्तन की सक्षम कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जावे। यदि निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रश्नगत आराजी के खातेदारों द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि उपयोग परिवर्तन की सक्षम कार्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है, तो प्रश्नगत आराजी के [illegible] धारान्तर्गत प्रकरण बनाकर न्यायालय के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे। [illegible] की एक प्रति तहसीलदार दौसा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल [illegible] कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:44:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा